

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2024-25/08436/

दिनांक -

छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in/> पर ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल दिनांक-23.09.2025 से पोर्टल खोला जाकर अंतिम तिथि 31.10.2025 रखी गई जिसमें निम्नानुसार दिनांक-01.12.2025 तक अभिवृद्धि की जाती है-

क्र. स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2025-26	23.09.2025	01.12.2025
2	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना	2025-26	23.09.2025	01.12.2025
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2025-26	23.09.2025	01.12.2025
	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :-			
	1. सभी वर्ग की छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 12वीं उत्तीर्ण			
	2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)			
	3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	2025-26	23.09.2025	01.12.2025
4.	4. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग)			
	5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग)			
	6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग)			
	7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)			
5.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना	2025-26	23.09.2025	01.12.2025
6	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता	2025-26	23.09.2025	01.12.2025
7	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	2025-26	23.09.2025	01.12.2025
8	सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता	2025-26	23.09.2025	01.12.2025
9	सहरिया छात्र-छात्राओं को बी.एड. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता	2025-26	23.09.2025	01.12.2025

Signature valid

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन हेतु पोर्टल पर उपलब्ध छात्रा

Digitally signed by Murali Lal
Date: 2025.10.29 14:48:53 IST
Reason: Approved

/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल् आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Muree Lal Dayma
Designation : Joint Director
Date: 2025.10.29 14:48:53 IST
Reason: Approved